न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 26 / 2015

बउनवान

श्यामलाल पुत्र केदार प्रसाद उम्र 47 वर्ष जाति–ब्राहमण निवासी प्लाट संख्या–31 रोड नं0–5 खण्डेलवाल प्रोपर्टी की गली आदर्श नगर, बून्दी रोड,कोटा जिला–कोटा (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र–52 वर्ष जाति–ब्राहमण निवासी–ग्राम कोटडा तहसील व जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्व तहसीलदार,बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 303 दिनांक 06.05.2014 वाके ग्राम कोटडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री मदनगोपाल केवडा अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.07.2019

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 06.05.2014 ग्राम कोटडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल का खोला गया फौती नामान्तकरण विधि के प्रावधानो प्रकिया एवं उत्तराधिकार प्रावधानों के असंगत अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। मृतक द्वारकालाल पुत्र घांसी उर्फ मोतीलाल के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है।

घासीलाल उर्फ मोतीलाल(मृतक)

केदार प्रसाद द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल

श्यामलाल रामलाल हेमलता
पुत्र पुत्र पुत्री

द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल की मृत्यु दिनांक 07.08.2013 को उसके निजी आवास भूखण्ड संख्या–31 आदर्श नगर, बून्दी रोड,कोटा में हुई। मृतक द्वारकालाल ने अपने जीवनलाल में अपीलांट को अपना वसीयती उत्तराधिकार जर्ये वसीयत दिनांक 22. 12.1998 नियुक्त कर दिया था। वसीयती उत्तराधिकारी अपीलांट ने हीं मृतक का दाह

संस्कार एवं अंतिम क्रियाकर्म कर मृतक की सद्गति की कामना की है तथा मृतक की पगडी भी अपीलांट के बंधी है। मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल के खाते में वाके माल कोटड़ा के हाल खसरा नम्बर 289 रकबा 0.55 है0 आराजी अवस्थित है जो 40 साल पूर्व कोटा चला गया और उद्यान विभाग व नगर निगत कोटा में सेवारत रहा। मृतक अविवाहित था मृतक ने कोटा में भूखण्ड संख्या 31 पर मकान बनाकर निवास करने लगा तथा नगर निगम कोटा से दिनांक 01.04.2011 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। मृतक ने अपने भतीजे श्यामलाल को जर्ये वसीयतनामा दिनांक 22.12.1998 से अपना वसीयती उत्तराधिकार नियुक्त किया था। अपीलांट हीं मृतक की सेवा सुश्रेषा एवं देखभाल करता था। मृतक के बीमार रहने पर मृतक मई, 2013 में अत्यधिक बीमारी के कारण मृतक के सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो गई तथा मृतक की दिनांक 07.08.2013 को मृत्यु हो गई।

2— रेस्पोडेंट ओमप्रकाश मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल का दूरदराज का रिश्तेदार है जो ग्राम कोटडा का स्थायी निवासी है। रेस्पों0 ने अपीलांट को फोन कर मृतक द्वारकालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 22.12.1998 की फोटोप्रतियॉ लेकर, अपीलांट को मृतक का फौती नामान्तकरण खुलवाने हेतु ग्राम कोटडा बुलवाया, जिसपर अपीलांट ने फोटोप्रतियॉ दी गयी। इसपर रेस्पोडेंट ने मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल के खाते की आराजियात् को हडपने की योजनाबद्ध तरीके से फर्जीवाडा कर, मृतक का फर्जी वसीयतनामा दिनांक 17.06.2013 को पंजीबद्ध करवा लिया। उक्त वसीयतनामें पर हस्ताक्षर एवं फोटो मृतक नहीं है। इन सब तथ्यों को जानते हुये कि मृतक द्वारा अपीलांट के पक्ष में वसीयत कर रखी है इसके बावजूद रेस्पोडेंट ने फर्जी वसीयत के आधार पर मृतक का फौती नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया है, उक्त नामान्तकरण अवैध एवं शून्य दस्तावेज है।

3— रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी, छल कपट एवं धोखे से निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 17.06.2013 पर मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल के हस्ताक्षर फर्जी है। मृतक 40 वर्षो से कभी भी ग्राम कोटडा में नहीं रहा, बल्कि कोटा में हीं रहा है। वसीयतनामा दिनांक 17. 06.2013 में अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 22.12.1998 का उल्लेख नहीं है। ना हीं पूर्व निष्पादित वसीयतनामा मृतक द्वारा प्रति संहरण किये बिना हीं निष्पादित दूसरी वसीयत विधि अनुसार प्रारम्भतः शुन्य एवं अवैध है। मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल का सगा भाई केदार प्रसाद है जो मृतक का विधिक उत्तराधिकार होते हुये बिना कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना जॉच किये हीं मृतक का प्राकृतिक नामान्तकरण तस्दीक किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 06.05.2014 वाके ग्राम कोटडा निरस्त फरमाया जाकर, मृतक का फौती नामान्तकरण वसीयती उत्ताधिकार अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल की मृत्यु दिनांक 07.08.2013 को होने पर रेस्पोडेंट के पक्ष में फौती वसीयती नामान्तकरण दिनांक 06.05.2014 को तस्दीक किया है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया को खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि वास्तविकता यह है कि मृतक द्वारकालाल ने अपने जीवनकाल में अपीलांट को अपना दत्तक पुत्र उत्तराधिकार ग्रहण कर, दिनांक 22.12.1998 को वसीयत तहरीर की गयी थी। तभी से मृतक की सेवा सुश्रेषा, देखभाल अपीलांट ने हीं की थी। मृतक का दाह संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम अपीलांट ने हीं किया था तथा पगडी भी अपीलांट के हीं बंधी थी। रेस्पोंडेट मृतक के काफी दूर का रिश्तेदार है। मृतक द्वारकालाल राजकीय सेवा में रहा है तथा गत 40 वर्षो से कोटा में हीं निवास किया है, जबकि रेस्पोडेंट ग्राम कोटडा का निवासी है, जिसने अपीलांट से छल कपट तरीके से मृतक द्वारकालाल जी मृत्यु प्रमाण एवं वसीयत की फोटोप्रति लेकर, द्वारकालाल जी की मृत्यु उपरान्त फर्जी तरीके से अपने पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत तैयार की गयी है जिसपर मृतक को फर्जी हस्ताक्षर है।

6— मृतक द्वारिकालाल उर्फ द्वारकालाल जी ने अपीलांट मृतक के भाई का पुत्र होने से प्राकृतिक वारिस के पक्ष में दिनांक 22.12.1998 को स्वस्थ चित्त मन से अपीलांट को पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। रेस्पों0 ने छल षडंयत्र तरीके से मृतक के बीमार होने पर तथा उनके अत्यधिक बीमारी के दौरान सोचने विचारने की क्षमता खत्म होने पर, इसका फायदा उठाकर फर्जी वसीयत दिनांक 17.06.2013 को निष्पादित करायी गयी है, इस वसीयत के कुछ समय पश्चात् दिनांक 07.08.2013 को वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गयी है, ऐसी स्थिति में उक्त तहरीरी वसीयत दिनांक 17.06.2013 प्रारम्भतः हीं फर्जी प्रतीत होती है। चूकि मृतक द्वारा प्रथम वसीयत दिनांक 22.12.1998 अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गयी है, जो अस्तिस्व में है। रेस्पोडेंट के पक्ष में तहरीरी वसीयत दिनांक 17.06.2013 में प्रथम वसीयत को निरस्त या अमान्य किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यदि पूर्व में कोई वसीयत निष्पादित है तो उसे तब तक समाप्त या शून्य नहीं माना जा सकता, जब तक की वसीयतकर्ता स्वंय द्वारा उक्त वसीयत को संहरण नहीं किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फर्जी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने में भारी भूल की है। नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व प्राकृतिक वारिस उत्तराधिकार भाई केदार प्रसाद को ना तो सुनवायी व जवाबदेहीं का कोई अवसर नहीं दिया है तथा ना हीं वसीयत बाबत कोई जॉच पडताल की गयी है। विवादित आराजी पैतृक है जिसे अपीलांट को बिना सुने रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत पेश किये। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट के पक्ष में उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि रेस्पों मृतक द्वारकालाल जी का असल वसीयती उत्तराधिकारी है। मृतक द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 17.06.2013 को रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गयी है। मृतक

द्वारकालाल जी की दिनांक 07.08.2013 को मृत्यु होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष फौती इन्तकाल का आवेदन प्रस्तुत किया है, इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयती नामान्तकरण दर्ज किया गया है। रेस्पों0 के पक्ष में तहरीरी वसीयत मृतक वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार अंतिम लिखावट या वसीयत की मान्य है। अपीलांट जिन वसीयत को अपने पक्ष में होना बता रहे है, वह अनरजिस्टर्ड लिखावट है, जिसे रजिस्टर्ड वसीयत के होते किसी भी स्थिति में मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने फौती नामा. दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की है। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि रेस्पों ही मृतक का वसीयती उत्तराधिकारी है। उक्त आराजी मृतक को आवंटित हुयी है, पैतृक आराजी नहीं है। इसलिये मृतक वसीयतकर्ता को रेस्पों0 के पक्ष में वसीयत करने के कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसी आधार पर रजिस्टर्ड वसीयत की गयी है।

8— साथ हीं कथन किया कि अपीलांट ने अपील में लिखा है कि मृतक की सेवा सुश्रेषा, देखभाल उसके द्वारा की गयी है, पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। द्वारकालाल कुवारे थे, उन्होने शादी नहीं की थी तथा बपचन से हीं अपनी बुआ के पास रहे है तथा वृद्धावस्था में उसकी देखभाल, सेवा रेस्पों0 ने हीं की है। इससे प्रसन्न होकर हीं मृतक ने अपनी जायदाद रेस्पों0 के पक्ष में वसीयती उत्तराधिकारी ग्रहण कर, रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण में कोई त्रुटि नहीं है। अपने कथन के समर्थन में फर्द दस्तावेज एवं विधि दृष्टांत आर.आर.डी. पेज 179 निर्णय दिनांक 14.03.2019 की प्रति पेश की गयी। अतः अपीलांट की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित होने से अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की गयी।

9— हमने विद्धान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पों0 की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि मृतक द्वारकालाल द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 22.12.1998 को अपीलांट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गयी है। विवादित आराजी पैत्रक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयती नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व वैधानिक वारिसान की सुनवाई नहीं की गयी है तथा द्वितीय वसीयत में प्रथम वसीयत को संहरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार रेस्पो0 अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि उसके पक्ष में मृतक द्वारकालाल जी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की है जो अंतिम वसीयत है। प्रश्नगत आराजी आवंटित भूमि है, पैत्रक नहीं है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन करने से पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 0.55 है0 ग्राम कोटडा द्वारकालाल पुत्र घांसीलाल जाति ब्राहमण की खातेदारी भूमि है, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.08.2013 को होने पर, रेस्पोडेट ओमप्रकाश द्वारा उसके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.06.2013 निष्पादित होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश करने पर, उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। चूकि अपील में सामान जाहिर आया है कि मृतक द्वारकालाल द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 22.12.1998 को अनरजिस्टर्ड वसीयत तहरीर की गयी है तथा रेस्पो0 के पक्ष में दिनांक 17.06.2013 को रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गयी है। चूकि अपील में दोहरी वसीयत प्रकट हुई है। ऐसी स्थिति में कि जब तक दोनो वसीयतो की जॉच पडताल कर, साक्ष्य सबूतों के आधार

पर असल वसीयत को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक किसी भी वसीयत को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती।

10— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 303 दिनांक 06.05.2014 वाके ग्राम कोटडा निरस्त किया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत व पंजीकृत वसीयत की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पक्षकारान् को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, दोनो वसीयत के गवाहान् की साक्ष्य लेकर, साक्ष्य सबूत के आधार पर, वैधानिक वारिस के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.07.26 11:11:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: